बिहार परिचारिका निबन्धक परिषद, पटना।

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–514/BNRC/2020-746 स्वा०, पटना दिनांक 29/07/2020

दीपक राज सेवा संगम, भभुआ (कैमूर) द्वारा संचालित **माँ मुण्डेश्वरी** पारा मेडिकल एण्ड **नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थान, भभुआ (कैमूर), बिहार** के अन्तर्गत **ए०एन०एम०** पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षणिक वर्ष 2020–2021 के लिए सरकार के पत्रांक–356(01) दिनांक–13.03.2020 एवं पत्रांक–362(1) दिनांक–14.03.2020 के द्वारा नामांकन की अनुमति BCECE बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर दी जा चुकी है। वर्त्तमान में कोविड–19 के प्रक्रोप को देखते हुए जाँच टीम गठन करना संभव नहीं है क्योंकि वर्त्तमान में सारे प्रशिक्षण संस्थान बंद होने के कारण मानव एवं भौतिक संसाधनों का भौतिक सत्यापन करना संभव प्रतीत नहीं होता है। इसलिए जाँच टीम का गठन का कोई भी औचित्य नहीं है। अतः कार्य हित में छात्रों के **पठन पाठन** एवं नामांकन की अनुमति दी जाती है। उपरोक्त परिस्थिति में वर्त्तमान में कार्यरत निजी नर्सिंग संस्थानों के स्थिति समान्य होने तक उपरोक्त संस्थान को पूर्व के सत्र में निर्धारित सीटो के आलोक में सत्र 2020–2021 के लिए अनुमति दी जाती है। भविष्य में सरकार द्वारा ली गई किसी भी निर्णय से उपरोक्त आदेश फलिभूत माना जायेगा।

ह०/--

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 746/BNRC पटना, दिनांक 29/07/2020

प्रतिलिपि :–सचिव, माँ मुण्डेश्वरी पारा मेडिकल एण्ड नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थान, भभुआ (कैमूर), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–निबंधक, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सचिव, भारतीय उपचार्य परिषद, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।